न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–22/2019
सी.आई.एस.–122/19

शंकर तिवारी वगैरह – आवेदकगण
बनाम्
राम नवमी तिवारी वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

06.12.2025

आवेदकगण की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–22/2019 मूल स्वत्व वाद सं0–140/2004 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–140/2004 जो दिनांक–14.03.2019 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक/प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–22/2019 दाखिल किया गया है। मुकदमा की देख–रेख एवं पैरवी आवेदक नं0–1 शंकर तिवारी उर्फ शंकरजी तिवारी करते थे। वाद का निर्धारण हो चुका था तथा वादीगण के तरफ से कागजात एवं गवाहों की सूची दाखिल करना था। इसी बीच आवेदक सं0–1 बिमार हो गये तथा श्वास नली में उनको तकलीफ हो गई वो इलाज कराने लगे तथा इसी बीच आवेदिका गीता देवी की भी तबियत काफी खराब हो गई। जिसके कारण नंबरी वाद में उचित पैरवी नहीं हो सका तथा न्यायालय के पूर्व के आदेश का पालन नहीं हो सका। वादी के तरफ से समय आवेदन दिया गया था पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी कोई उपस्थित नहीं हो सका तथा वाद दिनांक–14.03.2019 को अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हो सकी। आवेदक अप्रैल के प्रथम सप्ताह 2019 में स्वस्थ हुए तो न्यायालय आकर मुकदमे के बारे में पता किया तो पता चला कि नंबरी वाद अदम पैरवी में खारिज हो गया है। नंबरी वाद खारिज होने से आवेदकगण को काफी क्षति है चूंकि नंबरी वाद बंटवारा का है जिसमें रेकरिंग कॉज ऑफ एक्सन होता है। आवेदकगण जान बूझकर कोई गलती नहीं किया है मुकदमा को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदकगण अन्डर टेक करता है कि भविष्य में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। वाद के सुनवाई में आवेदकगण/प्रार्थी हमेशा सहयोग करेंगे वो अदालत के हर एक आदेश का अनुपालन में आवेदकगण/प्रार्थी किसी तरह का लाप. रवाही नहीं बरतेंगे। अतः निवेदन है कि आवेदक का मुल नंबरी वाद संख्या–140 सन् 2004 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–22/2019 मूल स्वत्व वाद संख्या–140/2004 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक–14.03.2019 को अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदकगण ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदकगण का तबियत खराब थी। आवेदकगण के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है जो समय–सीमा के अन्दर है। आवेदकगण द्वारा उचित पैरवी नहीं करने के कारण खारिज हो गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल वाद संख्या–140/2004 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–22/2019 को न्यायहित में 4000/–रूपये खर्चा के साथ मूल वाद संख्या 140/2004 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय